

G.C.M.S
2020/00091
08/02/2021

जज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. विश्वनाथ

हलका ~~भूक~~ ~~वजतसिंह~~

पुत्र श्री. गोबिन्दाजी जाति ~~दल~~

निवासी- ~~भूक~~ ~~वजतसिंह~~

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. ४४ वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूक वजतसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूक वजतसिंह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 वर्ग फीट किस्म भूमि भूक वजतसिंह पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़वेर	विश्वनाथ
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैरसायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी बाजकीये कार्य हेतु लोचपुर पर्यटन पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो। 11-01-2021	विश्वनाथ
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश हो।	विश्वनाथ

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़वेर

27-01-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सागल की तरफ से उनके वकील ने उपरिक्त होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक -10-2-2021 को पेश हो।



तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीठालीन अधिकारी माफ़ उभरी पर सिविल पक्षर है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपस्थित। गैर सागल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिए जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपस्थित। गैर सागल को जवाब हेतु बार-बार अवसर दिए जाते हैं उपरान्त भी कोई विधि सम्मल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, गैर सागल को अतिक्रम मानते हुए पत्रावली फैलल सुनार है। निर्णय अलग लिखकर जाकर शीघ्र पत्रावली है। पत्रावली फैलल सुनार होकर डाकिल दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर